

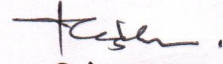
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-450) अलेसे-I/ 1264

दिनांक:- 02/11/2020

कार्यालय आदेश

श्री रामकुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 9770), कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (परियोजना), चूरु ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री रामकुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं0 9770), कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (परियोजना), चूरु का नाम परिवर्तित कर, "श्री रामकुमार" के स्थान पर "श्री रामकुमार बुरड़क" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

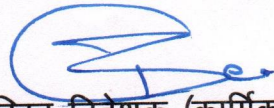

निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-450) अलेसे-I/1264

दिनांक:- 02/11/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, चूरु।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (परियोजना), चूरु।
3. श्री रामकुमार बुरड़क, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय-अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (परियोजना), चूरु।
4. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/II/III)